

मु.नं. 78/2019

आज्ञा विस्तृत रूप से

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	
	11/1/21	पत्रावली पेश की। तदनुसार कार्य कन्डोले के कारण 13/2/21 को पेश किया।
	12/2/21	पत्रावली पेश हुई। <u>P.O. साहब</u> कार्य में बाधा के कारण को पेश किया। 9/3/21
	9/2/21	पत्रावली पेश की। तदनुसार कार्य कन्डोले के कारण को पेश किया। को पेश किया। 25/3/21
	25/3/21	पत्रावली आज पेश हुई। पत्नील उभयपक्ष उपर अप्राथमिक के अधिवक्ता के द्वारा न्यायालय हाजिरी से निवेदन किया गया कि प्राथमिक की शक्ति के साथ-साथ अप्राथमिक की शक्ति भी भी सिमात्राव परदाखड़ी कि जावे। अप्राथमिक के अधिवक्ता के द्वारा कहे गये कर्तव्य पर प्राथमिक के अधिवक्ता के सहित वक्ता की गई आता प्राथमिक को प्राथमिक पर वास्तव परदाखड़ी कि जावे को शक्ति के साथ-साथ कि जावे के अधिवक्ता कि जावे है कि तदनुसार वक्ता के अधिवक्ता कि जावे जाता है। कि वह प्राथमिक की आराजी खलरा नं० 256/2000 ई० 0.3600 ई० खलरा नं० 256/3 2000 ई० 0.5100 ई० वक्ता के नाम और परिवार हलका और मु. अ. नि. देना इच्छती गदानी व-सी (सहित शक्ति के साथ-साथ अप्राथमिक की शक्ति की सिमात्राव परदाखड़ी की जावे

अज्ञात खमर निलंबित  
 जस्टिस के अज्ञात

हिरावर व चार परवारीयान को सफुदा टीम  
गठित कर निम्न अवसर कार्यवाही करे !  
1. हलोलवाट कस्बी न्यायालय हाजा कि पास  
निर्णय कि पालना करते समय भीके पर किसी  
प्रकार का उत्प होता है ता संबंधित शाखाधिकारी  
दाने से श्लेष जावजा पर्याप्त प्राप्त कर  
परगडी को कार्यवाही किया जाना सुनिश्चित  
करे !

पत्रावली फंसल श्रुमार हुकर एवं नम्बर  
से कम होने पर शरिफत दफतर हा।  
निर्णय आज दिनांक 25/3/21 को स्थली न्यायालय  
से श्री कजलस सुजायागगा।

*Kumar*  
उप जिला कलेक्टर एवं मजिस्ट्रेट  
जयपुर विभाग-जयपुर